



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, उत्तराखंड



सभी प्रमुख नियोक्ता (Principal Employers) एवं ठेकेदार (Contractors) कृपया ध्यान दें!

- ✓ अगर आप एक ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान हैं जो कि Principal Employer के रूप में किसी ठेकेदार (Contractor) की सेवा लेते हैं या ठेके पर काम करवाते हैं, तो अपने ठेकेदार का विवरण तत्काल Establishment Login (<https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/>) पर दर्ज करें।
- ✓ अगर आप स्वयं एक ठेकेदार (Contractor) हैं, तो अपने Principal Employer से माँग करें की वह आपका विवरण अपने Establishment Login पर तत्काल दर्ज करे।
- ✓ अगर आप एक अनावृत प्रमुख नियोक्ता हैं (जिसके पास अपना EPF Code ना हो), तो 'Uncovered Principal Employer Registration' सुविधा के माध्यम से अपने ठेकेदारों का विवरण दर्ज करें।
- ✓ ठेकेदारों का विवरण **30 जून, 2021 तक दर्ज करना अनिवार्य है**, ऐसा ना होने की स्थिति में EPFO द्वारा आपको दिए जा रहे लाभ व सेवाएँ प्रभावित हो सकते हैं।